

1. अशरफी देवी पुत्री झूथाराम पुत्र नाथाराम जाति अहीर उम्र करीब 70 साल निवासी ग्राम मोहलडिया तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान हाल पत्नी श्री जसवन्त सिंह निवासी हाजीपुर तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा (मृतक)
 - 1/1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह उम्र करीब 51 साल,
 - 1/2. दिनेश कुमार पुत्र जसवन्त सिंह उम्र करीब 42 साल,
 - 1/3. जसवन्त सिंह पुत्र पोकरमल उम्र करीब 81 साल, जतियान अहीर निवसीयान हाजीपुर तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा वारिस काबिज जायदाद मृतका अशरफी देवी

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. निहाल सिंह पुत्र स्व० श्री भाना पुत्र नाथा जाति अहीर,
2. चिरंजीलाल पुत्र स्व. श्री भाना पुत्र नाथा जाति अहीर (मृतक)
 - 2/1. शान्तीदेवी पत्नी स्व. श्री चिरंजीलाल उम्र करीब 70 साल,
 - 2/2. जलेश सिंह पुत्र स्व. श्री चिरंजीलाल उम्र करीब 46 साल,
 - 2/3. रमेश देवी पुत्री स्व. श्री चिरंजीलाल उम्र करीब 50 साल,
 - 2/4. रामरती पुत्री स्व. श्री चिरंजीलाल उम्र करीब 48 साल,
 - 2/5. रविन्द्रा पुत्री स्व. श्री चिरंजीलाल उम्र करीब 30 साल,
 - 2/6. फतेह सिंह पुत्र स्व. श्री चिरंजीलाल (मृतक)
 - 2/6/1. ममता पत्नी स्व. श्री फतेहसिंह उम्र करीब 35 साल,
 - 2/6/2. अंकित पुत्र स्व. श्री फतेहसिंह उम्र करीब 15 साल नाबालिंग तरिये सरपरस्त माता स्वयं ममता,
 - 2/6/3. अंकुश पुत्र स्व. श्री फतेहसिंह उम्र 10 साल नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता स्वयं ममता,
 - 2/6/4. अंकिता पुत्री स्व. श्री फतेहसिंह उम्र 17 साल नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता स्वयं ममता जातियान अहीर निवासीयान ग्राम मोहलडिया तहसील नीमराना जिला अलवर, राजस्थान।
3. ग्राम पंचायत बचपुरी पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर राजस्थान जरिये सरपंच।

— रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय


दिनांक: 06.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, मनमाने रूपसे तथा बिना तथ्यों व दस्तावेजात पर गौर किये व रेस्पोजेन्ट को बेजा रूप से लाभ पहुँचाने की गर्ज से अपीलान्त को बिना सुनवाई का सम्यक् अवसर दिये पारित किया है जो इसी आधार पर खारिज होन योग्य है तथा अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत तथ्ये दर्ज किये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन तथ्यों पर अपना मत व्यक्त न करते हुए बेजा तरीके पर सरसरी आधार को लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानकर प्रथम दृष्टया ही भारी कानूनी भूल की है जबकि लिखतम (हकत्याग) दिनांक 12.02.2007 शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर अपील को मियाद बाहर होना कानूनन नही माना जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने व विधि विरुद्ध रूप से अपील को मियाद बाहर मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नही किया है कि नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 12.06.1990 को ग्राम पंचायत बिचपुरी ने स्वीकृत किया था तथा तथाकथित लिखतम (हकत्याग) दिनांक 12.02.2007 पर आधारित नही था तथा नामान्तरकरण दिनांक 12.06.1990 को स्वीकृत हुआ है तथा रेस्पोजेन्ट की ओर से जो हक त्याग करना बताया गया है वह दिनांक 12.02.2007 का है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने हक त्याग को आधारित कर गलत निष्कर्ष निकाल कर कि अपीलान्त मृतक झूठा तथा नाथा के अन्य वारिस की सम्पत्ति में हिस्सा नही लेना चाहती है, अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्ध है क्योंकि उक्त हक त्याग के निष्पादन को अपीलान्त स्वीकार नही करती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये मनमाने रूप से व न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया जो इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की ओर से दिनांक 12.02.2007 की लिखतम हक त्याग के खिलाफ फौजदारी प्रकरण में एफ.आर. लगने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कथित हक त्याग के आधार पर अपीलाधीन आदेश बेजा रूप से पारित किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त हक त्याग को विधिक दृष्टि से देखना था कि यह विधिवत रूप से दस्तावेजात की परिधि में आता है या नही क्योंकि उक्त दस्तावेज पंजीकृत नही है जिसका पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है ऐसी सूरत में उक्त लिखतम हक त्याग जो अपंजीकृत है किसी प्रकार से साक्ष्य में ग्राह्य नही है अर्थात उक्त दस्तावेज कानूनन वैध नही है इसके अलावा अपीलान्त द्वारा उक्त लिखतम हक त्याग के निष्पादन से इन्कार किया है इस प्रकार उक्त दस्तावेज हक त्याग कानूनी महत्व नही रखता है इसलिये अधिक से अधिक उक्त बिन्दु पर अपील को साक्ष्य हेतु रिमाण्ड किया जाना कानूनन


संभागाध्यक्ष
जयपुर

आवश्यक था लेकिन बेजा रूप से रेस्पोंडेन्ट को लाभ दिलाने की नीयत से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को खारिज कर भारी कानूनी भूल कारित की है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 12.06.1990 ग्राम पंचायत बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर को निरस्त फरमाया जावे एवं गलत नामान्तरकरण संख्या 26 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट के नाम से हुए इन्दाजात को राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज व स्वीकृत किया जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि लिखतम दिनांक 12.02.2007 में स्वयं अपीलार्थी ने बयान किया है कि मैं अपने पिता झूथा की सम्पत्ति में अपनी स्वेच्छा से हक हिस्सा लेना नहीं चाहती हूँ जो लिखतम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मृतक झूथा की विरासत का नामान्तरकरण में अपीलार्थीया ने अपने स्वेच्छा से हक प्राप्त नहीं किया था और स्वेच्छा से रेस्पोंडेन्ट के नाम से झूथा की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया गया था तथा अपीलार्थीया के पिता की विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट के नाम से दर्ज व स्वीकृत होने की जानकारी अपीलार्थीया को शुरू से ही थी जो पत्रावली के तथ्यों से साबित है तथा उक्त लिखतम हकत्याग पर अपीलार्थीया के पुत्र सुरेन्द्र के बतौर गवाह हस्ताक्षर है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोंडेन्ट को परेशान व हैरान करने के उद्देश्य से मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.2017 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार की मृत्यु होने पर पटवार हल्का द्वारा उसके खातेदार का सजरा नामान्तरकरण की पुष्टि पर अंकित करते हुए नामान्तरकरण भरा गया है तथा तत्पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत बिचपुरी द्वारा दिनांक 12.06.1990 को स्वीकार किया गया है जिसके विरुद्ध लगभग 26 वर्ष के असाधारण विलम्ब से वर्ष 2016 में अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन हेतु ठोस एवं संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीया स्वयं ने दिनांक 12.02.2007 को 100/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपने पिता की विरासत में कोई हक व

हिस्सा लेना नहीं चाहती जाहिर कर उक्त हक त्याग पत्र को नोटरी से तस्दीक करवाया गया है जिसमें अपीलार्थीया के पुत्र सुरेन्द्र ने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्त द्वारा एक बार हकत्याग करने के बाद उस हकत्याग पर किसी प्रकार के उच्चात करने के कानूनन अधिकार अपीलार्थीया को प्रदत्त नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त हकत्याग को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नहीं करवाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीया को उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानने के ठोस आधार एवं कारण उपलब्ध नहीं रहे हैं और अपीलार्थीया की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)

संभागीय आयुक्त

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त

जयपुर।